म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

राजा भोज मार्ग (कोलार रोड), भोपाल

क्रमांकः 218/भण्डार/2019 भोपाल, दिनांक : 06/02/2019

वाहन सेवाओं के लिए ई–निविदा–वर्ष 2019

म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के कार्यालयीन कार्य के उपयोग में आने वाले वाहनों की सेवाओं के लिए **ट्रेवल्स ऐजेंसियों/ फर्मो** से ऑन–लाईन ई–निविदा वर्ष – 2019 आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, शर्ते एवं विस्तृत जानकारी हेतु म0प्र0 शासन की वेबसाईट https://www.mpeproc.gov.in पर लॉग–आन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 500/– (पॉच सौ रूपये) तथा निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) राशि रू0 10000/– (दस हजार रुपये) हैं। निविदा प्रपत्र ऑन–लाईन ही क्रय की जा सकेगी एवं ऑन–लाईन ही प्रस्तुत करने पर मान्य होगी।

निविदा का कुल मूल्य रूपये 5,00,000/– (पॉच लाख रुपये) लगभग है। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाईट https://www.mpeproc.gov.in व www.bhojvirtualuniversity.com पर दी जाएगी। निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार हैः–

स0क्र0	विवरण	दिनांक	समय
01	निविदा फार्म डाउनलोड/क्रय करने की प्रारंभ तिथि	08/02/2019	10:00 बजे से
02	निविदा फार्म ऑन–लाईन प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि	12/02/2019	12:00 बजे से
03	निविदा फार्म डाउनलोड/क्रय करने की अंतिम तिथि	01/03/2019	17:30 बजे तक
04	निविदा फार्म ऑन–लाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	01/03/2019	17:30 बजे तक
05	निविदा खोलने की तिथि	06/03/2019	15:00 बजे

निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.bhojvirtualuniversity.com पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

कुलसचिव

म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

वाहन सेवाओं के लिए ई–निविदा–वर्ष 2019

भाग – 1
निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

1.1 सभी निविदाकारों से अनुरोध है कि वे निविदा प्रपत्र भरने/ प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा से संबंधित समस्त अर्हतायें, अन्य शर्ते एवं कार्य से संबंधित प्रक्रिया के बारे में दिये गये विवरणों को सावधानी पूर्वक पढ़ ले। निविदा के संबंध में किसी स्पष्टीकरण एवं शंका समाधान के लिए कार्यालयीन समय में विश्वविद्यालय के कुलसचिव से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

1.2 **कार्य का परिचय** :– म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का मुख्यालय परिसर राजा भोज मार्ग (कोलार रोड), भोपाल पर स्थित है। परिसर में प्रशासनिक भवन, ईएमपीआरसी, कुलपति निवास, कुलसचिव निवास, अतिथि गृह, अधिकारी एवं कर्मचारी निवास आदि है। विवि का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है। विवि के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद एवं बड़वानी में है एवं इन क्षेत्रीय केंद्रों के अंतर्गत् दूरस्थ अंचलों में अध्ययन केंद्र है। अतः विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन में वाहन सेवा के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जा रही हैं।

1.3 निविदा प्रपत्र https://www.mpeproc.gov.in से डाउनलोड करे। निविदा सम्बन्धी जानकारी म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की वेब साइट www.bhojvirtualuniversity.com पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

1.4 यह निविदा म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के कार्यालय के उपयोग के लिए स्थानीय एवं मुख्यालय से बाहर प्रति किलोमीटर की दरों पर ए0सी0/ नॉन ए0सी0 वाहन उपलब्ध कराने के लिए ट्रेवल्स एजेंसियों से आमंत्रित की जा रही है।

1.5 निविदा को वेबसाईट https://www.mpeproc.gov.in पर ऑन–लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना हैं। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेब–साईट पर दी जावेगी। निविदा का अनुमानित मूल्य रू. 5,00,000/– (पॉच लाख रुपये) लगभग हैं।

1.6 निविदा ऑन–लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार हैः–

स0क्र0	विवरण	दिनांक	समय
01	निविदा फार्म डाउनलोड/क्रय करने की प्रारंभ तिथि	08/02/2019	10:00 बजे से
02	निविदा फार्म ऑन–लाईन प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि	12/02/2019	12:00 बजे से
03	निविदा फार्म डाउनलोड/क्रय करने की अंतिम तिथि	01/03/2019	17:30 बजे तक
04	निविदा फार्म ऑन–लाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	01/03/2019	17:30 बजे तक
05	निविदा खोलने की तिथि	06/03/2019	15:00 बजे

1.7 यदि निविदा खुलने की तिथि पर अपरिहार्य कारणों से निविदा खोली नहीं जा सकी तो उसे अगले कार्यदिवस पर दोपहर 3:30 बजे खोली जावेगी। इसकी पृथक से सूचना देना आवश्यक नही हैं।

1.8 **<u>प्रक्रिया–1</u>:** निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 500/– (पॉच सौ रुपये) हैं। निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) राशि रूपये 10,000/– (दस हजार रुपये) हैं। इन्हें ऑन लाईन जमा किया जाना हैं। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना हैं। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया–2 के लिए योग्य माना जायेगा।

1.9 **<u>प्रक्रिया–2</u> :** प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग–2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित कर पृथक–पृथक स्केन कर अपलोड किये जाने हैं।

1.10 **<u>प्रक्रिया–3</u> :** प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में भाग–2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने है । वित्तीय निविदा को एक्सेल शीट में ऑन–लाईन प्रस्तुत किया जाना हैं।

भाग – 2
तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्तें

2.1 ऐजेंसी/ फर्म द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2017–18, 2016–17, 2015–16) में शास0/ अर्ध शास0 संस्थाओं में वाहन चलाने का अनुभव हो। एक वर्ष में एक से अधिक संस्थाओं के कार्य आदेश की कुल संख्या मान्य होगी। संबंधित संस्था का कार्य आदेश/ प्रमाणपत्र की छायाप्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।

2.2 पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2017–18, 2016–17, 2015–16) में पन्द्रह लाख रुपये का वार्षिक टर्न ओवर होना अनिवार्य हैं। **फर्म का टर्न ओव्हर की चार्टेड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छायाप्रतिलिपि संलग्न करें तथा अंकेक्षित लेखे/ बेलेन्सशीट भी संलग्न करें।**

2.3 निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं है, इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो रू0 100/– (एक सौ रुपये) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। शपथपत्र का प्रारूप संलग्न है।

2.4 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मुद्रा (सील) लगाकर हस्ताक्षर करें। **किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मुद्रा (सील) एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे मान्य नही किया जावेगा** ।

2.5 निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजो की स्केन प्रति जिस पर फर्म के सील सहित हस्ताक्षर होने चाहिए, निविदा के साथ अपलोड करें :–
(क) जीएसटी (GST) पंजीयन की छाया प्रति संलग्न करें।
(ख) पेनकार्ड (PAN) की छाया प्रति संलग्न करें।
(घ) संस्था/फर्म/कम्पनी का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

2.6 इन्कम टैक्स के पिछले तीन ऐसेसमेंट वर्ष 2017–18, 2016–17, 2015–16 का इन्कम टैक्स प्रमाण पत्र की छाया प्रति अपलोड करें ।

2.7 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य वापसी योग्य नहीं हैं।

2.8 ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म के पास स्वयं के कम से कम 10 वाहन (जिसमें बोलेरो, इंडिगो, स्वीफट डिजायर, टवेरा, इनोवा, टाटा 407 लोडिंग आदि सम्मिलित होना चाहिए) अनुबंधित एवं व्यवसायिक रूप से पंजीकृत होना चाहिए, जो कि अप्रैल–2016 के पश्चात् निर्मित हो एवं उससे भी अधिक वाहन है तो विवरण तथा पूर्ण दस्तावेज तथा जानकारी **प्रपत्र ए–2** अनुसार प्रस्तुत करे। ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म को वाहनों के स्वामित्व का प्रमाण निविदा के साथ **प्रपत्र ए–2** के साथ प्रस्तुत करना होगा।

2.9 सभी वाहन टैक्सी कोटे से पंजीकृत होना अनिवार्य है। एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की पुलिस अथवा अन्य प्रकरण की जॉच नही होनी चाहिए।

2.10 वित्तीय निविदा में प्रदान की गई दरें विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केंद्रों पर (आवश्यकतानुसार) लागू होगी।

निम्नानुसार दस्तावेजों फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित स्केन कॉपी अपलोड की जाना है।

स0 क्र0	विवरण
01	निविदा प्रपत्र के मूल्य रू0 500/– ऑन–लाईन जमा की रसीद।
02	निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) रू0 10,000/– ऑन–लाईन जमा की रसीद।
03	ऐजेंसी/ फर्म द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2017–18, 2016–17, 2015–16) में शास0/ अर्ध शास0 संस्थाओं में वाहन चलाने का अनुभव, संबंधी संस्था को कार्य आदेश/ प्रमाणपत्र की छायाप्रति । एक वर्ष में एक से अधिक संस्थाओं के कार्य आदेश की कुल संख्या मान्य होगी।
04	पिछले तीन वित्त वर्षो (2017–18, 2016–17, 2015–16) में न्यूनतम रू0 पन्द्रह लाख प्रतिवर्ष। टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाणित छायाप्रति एवं इन वर्षो की बैलेंसशीट।
05	किसी भी शास0/अर्द्धशास0 संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नही होने का मूल शपथपत्र, जो रू0 100/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। शपथपत्र का प्रारूप संलग्न है।
06	जीएसटी (GST) पंजीयन की छाया प्रति। (सील एवं हस्ता0 सहित)
07	पेनकार्ड (PAN) की छाया प्रति। (सील एवं हस्ता0 सहित)
08	वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति। (सील एवं हस्ता0 सहित)
09	पिछले तीन असेसमेंट वर्षो (2017–18, 2016–17, 2015–16) के इनकम टैक्स (आयकर) रिटर्न की छायाप्रति।
10	ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म के पास स्वयं के कम से कम 10 वाहन **(**जिसमें बोलेरो, इंडिगो, स्वीफट डिजायर, टवेरा, इनोवा, टाटा 407 लोडिंग आदि सम्मिलित होना चाहिए**)** । अनुबंधित एवं व्यवसायिक रूप से पंजीकृत होना चाहिए । जोकि अप्रैल–2016 के पश्चात् निर्मित हो एवं उससे भी अधिक वाहन है तो विवरण तथा पूर्ण दस्तावेज तथा जानकारी **प्रपत्र ए–2** अनुसार प्रस्तुत करे। ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म को वाहनों के स्वामित्व का प्रमाण निविदा के साथ **प्रपत्र ए–2** के साथ प्रस्तुत करना होगा।
11	प्रपत्र ए–1

भाग – 3
निविदा की अन्य शर्तें

3.1 सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति की लिखित सूचना विवि द्वारा दी जाएगी। ऐसी सूचना के एक सप्ताह के अंदर निविदाकार को रू0 एक हजार के नॉन–ज्यूडीशियल स्टांप पेपर पर एक अनुबंध करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबंध न करने पर उसकी बैंक गारण्टी जब्त कर ली जावेगी।

3.2 अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन पर निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) को जब्त किया जा सकेगा ।

3.3 सफल निविदाकार से प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।

3.4 विश्वविद्यालय सफल निविदाकार की कार्य क्षमता एवं संतोषजनक सेवा को देखते हुए, अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 3 वर्ष तक (एक बार में एक वर्ष) के लिए बढाया भी जा सकता है। सेवा में वृद्धि हेतु मूल दर में कोई वृद्धि मान्य नही होगी।

3.5 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक हैं।

3.6 कार्य सन्तोषजनक न होने या ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म द्वारा शर्तो का पालन नही करने की स्थिति में ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म का कार्य आदेश म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) राशि जब्त की जावेगी।

3.7 त्रुटिपूर्ण सामग्री प्रदाय या विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर निम्नानुसार दंड अधिरोपित किया जा सकेगाः–

(क) **त्रुटि** :– निविदा में दी गई शर्तो के अनुरूप वाहन सेवा प्रदाय न करने पर देयक से 5 प्रतिशत कटौती की जाएगी।

(ख) **विलंब** :– विलंब से वाहन प्रदाय करने पर प्रस्तुत देयक की कुल राशि का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह रहेगा। (दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय कुलाधिपतिजी के विवेकाधीन होगा।)

3.8 ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए देयकों के भुगतान पर नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं अन्य करों की कटौती की जावेगी।

3.9 वित्तीय निविदा में दरें कर रहित (Without Tax) प्रस्तुत की जाना है। लागू करों को अलग से दर्शाया जाए।

3.10 जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सुरक्षा निधि राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

3.11 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई निविदा प्रतिभूति की राशि (EMD) पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.12 निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

3.13 वाहनों के परमिट रजिस्टेशन, बीमा, एवं रोड टेक्स, पी0यू0सी0 प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज का अद्यतन (Update) होना अनिवार्य है। इन मामलों में परिवहन नियमों का पालन करना ट्रेवल्स ऐजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

3.14 ट्रेवल्स ऐजेंसी के वाहन का बीमा इस प्रकार होना चाहिए, जिसमें वाहनों के बीमे के साथ वाहन में बैठने वाले सभी व्यक्तियों का बीमा भी शामिल हो।

3.15 प्रदाय किए जाने वाले वाहन का माइलोमीटर चालू स्थिति में होना अनिवार्य होगा।

3.16 ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म/ वाहन चालक को वि0वि0 के नियंत्रण में रहकर वि0वि0 द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।

3.17 वाहन चालक के पास वैद्य ड्राइविंग लायसेंस होना अनिवार्य होगा और इस मामले में किसी भी प्रकार की कमी/ त्रुटि की जवाबदारी ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म की होगी।

3.18 वाहन चालक को वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और उनका व्यवहार/ आचरण अच्छा होना चाहिए। वाहन चालक द्वारा दुर्व्यवहार करने पर वाहन ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म को **ब्लैक लिस्ट** किया जा सकेगा और इसके कारण वि0वि0 को हुई क्षति की वसूली निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) से की जावेगी। दुर्व्यवहार करने पर वाहन चालक पर रू0 100/– प्रतिदिन की दर से दंड अधिरोपित किया जा सकेगा।

3.19 वि0वि0 की सेवाओं के दौरान वाहनों की किसी प्रकार की दुर्घटना या चोरी होने पर उससे संबंधित सेवा आदि की समस्त जवाबदारी ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म की होगी। यात्रा के दौरान वाहन खराब होने पर दो घंटे के अंदर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। ऐसा न करने की स्थिति मे स्वयं के व्यय पर वाहन की व्यवस्था करने पर वाहन पर होने वाला समस्त व्यय ट्रेवल्स ऐजेंसी पर भारित होगा।

3.20 ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म को टेलिफोन पर या लिखित में वाहन की मॉग किसी भी समय किए जाने पर वाहन अधिकतम 2 घंटे में उपलब्ध कराना होगा।

3.21 यात्रा के दौरान विश्राम तथा भोजन आदि की व्यवस्था वाहन चालक/ ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

3.22 भोपाल मुख्यालय से बाहर जाने वाले वाहन के वापस आने तक की वास्तविक की गई यात्रा के किलोमीटर के आधार पर ही भुगतान देय होगा।

3.23 वाहन पर लगने वाले समस्त कर ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म द्वारा वहन किए जावेंगें।

3.24 सफल ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म द्वारा प्रत्येक माह देयक दो प्रतियों में कुलसचिव, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा। इस देयक के साथ लॉगबुक/ ड्यूटी स्लिप एवं उपयोगकर्ता का स्पष्ट नाम, पदनाम तथा हस्ताक्षर सहित देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

3.25 वि0वि0 के कार्य के लिए वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, परमिट शुल्क आदि का भुगतान किया जाता है तो भुगतान की रसीद, मूलतः मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की पूर्ति की जावेगी।

3.26 वि0वि0 द्वारा अपने क्षेत्राधिकार/ क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त कही भी, कभी भी वाहनों की मॉग की जा सकती है। ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म को उस स्थान में स्वीकृत दर पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।

3.27 प्रदाय किए वाहन के माइलोमीटर की रीडिंग कार्यस्थल से प्रारंभ होकर कार्यस्थल पर ही समाप्त होगी। माइलोमीटर की रीडिंग की फोटो देयक के साथ लगाना अनिवार्य होगी।

3.28 निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर समिति स्वविवेक से पैरामीटर / प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

3.29 वाहन चालक निर्धारित वर्दी में होगा तथा वर्दी पर उसके नाम की पट्टी लगी होना चाहिए।

3.30 वाहन चालक के पास मोबाइल होना अनिवार्य है। इसका व्यय ऐजेंसी द्वारा वहन किया जावेगा।

3.31 निविदा की शर्तो में किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी ।

3.32 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलपति, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

3.33 निविदा विषयक विवाद में Sole Arbitrator अंतिम निर्णय कुलपति, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

3.34 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

3.35 निविदाकारों को वित्तीय निविदा **प्रपत्र ए–3** में प्रस्तुत की जाना है ।

प्रपत्र ए–1
(निविदा प्रपत्र)

प्रति,

कुलसचिव,
म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

विषयः– वाहन सेवाओं के लिए निविदा वर्ष 2019 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी ट्रेवल्स ऐजेंसी/ फर्म की जानकारी निम्नानुसार हैः–

स0क्र0	विवरण	
01	फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	ट्रेवल्स ऐजेंसी/फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष नम्बर (मोबाईल एवं लेन्डलाईन)	
06	ई–मेल	

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग ''1'', ''2'', ''3'' में दर्शित शर्तों के अनुसार वाहन सेवाओं के लिए निविदा वर्ष–2019 का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

प्रपत्र ए–2

स0क्र0	वाहन का प्रकार	ऐजेंसी/फर्म में व्यावसायिक वाहन का पंजीयन वाहन का पंजीयन कमांक	निर्मित वर्ष (मॉडल वर्ष)	वाहन का बीमा	ट्रेवल्स ऐजेंसी/फर्म के मालिक का नाम
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

वाहन सेवा का प्रकार

स0क्र0	वाहन का प्रकार	स्थानीय / बाहर 4 घंटे 50 कि0 मी0	स्थानीय / बाहर 4 घंटे 50 कि0 मी0 के अतिरिक्त प्रति कि0मी0	स्थानीय / बाहर 8 घंटे 80 कि0 मी0	स्थानीय / बाहर 8 घंटे 80 कि0 मी0 के अतिरिक्त प्रति कि0मी0
1	2	3	4	5	6
01	बोलरों नॉन ए0सी0 या समकक्ष				
02	इंडिगो / स्वीफ्ट डिज़ायर नॉन ए0सी0 या समकक्ष				
03	इंडिगो / स्वीफ्ट डिज़ायर ए0सी0 या समकक्ष				
04	टवेरा नॉन ए0सी0 या समकक्ष				
05	टवेरा ए0सी0 या समकक्ष				
06	इनोवा नॉन ए0सी0 या समकक्ष				
07	इनोवा ए0सी0 या समकक्ष				
08	टाटा 407 लोडिंग या समकक्ष (हुड सहित)				

स्थानीय / बाहर 12 घंटे 100 कि0 मी0	स्थानीय / बाहर 12 घंटे 100 कि0 मी0 के अतिरिक्त प्रति कि0मी0	मुख्यालय के बाहर प्रति कि0मी0 काल 3 से 8 के अतिरिक्त	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 01 से 1000 किमी तक	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 01 से 1000 किमी से अधिक पर प्रति कि0मी0	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 01 से 1800 किमी तक	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 01 से 1800 किमी से अधिक पर प्रति कि0मी0	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 01 से 2200 किमी तक	वाहन की प्रतिमाह किराये पर लेने की दर 2200 किमी से अधिक	नाईट हाल्ट की दर
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित
रू0 .... के स्टाम्प पेपर पर

मैं.. द्वारा प्रोपराईटर मेसर्स ....

निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ किः–

(1) यह कि ट्रेवल्स एजेंसी/ फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/ उपक्रम से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हैं।

(2) यह कि ट्रेवल्स एजेंसी/ फर्म पर संबंधी कोई कानूनी विवाद न्यायालय में लम्बित नहीं हैं। सभी वाहन टैक्सी कोटे से पंजीकृत है एवं वाहनों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की पुलिस अथवा अन्य प्रकरण की जॉच नही होनी चाहिए।

(3) यह कि फर्म पर किसी शासकीय संस्था/उपक्रम की देनदारी शेष नहीं हैं।

(4) यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने का अधिकार म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।

शपथग्रहिता

<u>सत्यापन</u>

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु (1) से (4) में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथग्रहिता